

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

20 जनवरी, 2018 (ई०)

शनिवार, तिथि-

[द्वादश-सत्र]

30 पौष, 1939 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

(01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना। (यदि हो)

(02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य

(04)- श्री बिरंजी नारायण एवं श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:-18.01.2018 एवं 19.01.2018 से स्थगित)

(05)- श्री प्रदीप यादव, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:-18.01.2018 एवं 19.01.2018 से स्थगित)

(06)- श्री अमित कुमार मण्डल एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:-18.01.2018 एवं 19.01.2018 से स्थगित)

(07)- श्री अशोक कुमार, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:-18.01.2018 एवं 19.01.2018 से स्थगित)

क०पृ०उ०

- (08)- श्री कुणाल षडंगी,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18.01.2018 एवं 19.01.2018 से स्थगित)
- (09)- श्रीमती विमला प्रधान,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.01.2018 से स्थगित)
- (10)-श्री भानु प्रताप शाही एवं श्री प्रकाश राम,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.01.2018 से स्थगित)
- (11)- श्री राज सिन्हा,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (योजना-सह-वित्त विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.01.2018 से स्थगित)
- (12)- श्री सुखदेव भगत,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.01.2018 से स्थगित)
- (13)- श्री शिवशंकर उरांव,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.01.2018 से स्थगित)
- (14)- श्रीमती गीता कोड़ा,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)की ओर से वक्तव्य।
- (15)- सर्वश्री राधाकृष्ण किशोर,अशोक कुमार एवं श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग)की ओर से वक्तव्य।
- (16)- श्री दशरथ गागराई,श्रीमती जोबा मांझी एवं श्री शशि भूषण सामाड, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)की ओर से वक्तव्य।

- (17)- श्री अमित कुमार मंडल,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग)की ओर से वक्तव्य।
- (18)- श्री अरूप चटर्जी एवं श्री राजकुमार यादव,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उद्योग,खान एवं भूतत्व विभाग)की ओर से वक्तव्य।

समितियों का गठन

- (19)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन। (यदि हो)

--: सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

- (20)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना। (यदि हो)
- (21)- याचिकाओं का उपस्थापन। (यदि हो)

वित्तीय-कार्य

- (22)- वित्तीय वर्ष 2017-18 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान।

{कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है}

--: विधायी-कार्य :-

राजकीय(वित्त)विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक,2018


- (23)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह वित्त) श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक,2018" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (24)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह वित्त) श्री रघुवर दास,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (25)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह वित्त) श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक,2018" पर विचार हो।

कृ०पृ०३०/-

- (26)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह वित्त) श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2018" स्वीकृत हो।
- (27)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य। (यदि हो)


बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-01/2018-863/वि०स०, राँची, दिनांक-19.01.18.....
प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/
माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/
महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सरोज कुमार)
अवर सचिव,


झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-01/2018-863/वि०स०, राँची, दिनांक-19.01.18.....
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवालय कार्यालय
को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


(सरोज कुमार)
अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-01/2018-863/वि०स०, राँची, दिनांक-19.01.18.....
प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/
पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सरोज कुमार)
अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।


19/01/18